

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/कार्य-324/2019

राँची, दिनांक:

झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत समेकित सिंचाई व्यवस्था स्थापित एवं सुनिश्चित करने के लिए बतौर संसाधन संगठन (Resource Organisation) सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों/स्वयंसेवी संस्थाओं से विभिन्न सेवाएँ प्राप्त करने के लिए सूचीकरण (Empanelment) हेतु आमंत्रण सूचना

1. झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में जल संसाधन विभाग के द्वारा समय-समय पर वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई प्रक्षेत्रों में सिंचाई की संरचनाएँ निर्मित की गई हैं, जिनका भरपूर लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुकों की भागीदारी आवश्यक है। इन लाभुकों को उत्प्रेरित, प्रशिक्षित एवं सांगठनिक रूप से सुदृढ़ बनाये जाने हेतु एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है, जो विभागीय तंत्र एवं इन लाभुकों के बीच कड़ी का काम कर सके ताकि निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।
2. उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लघु सिंचाई प्रक्षेत्र में काफी संख्या में चेकडैमों का निर्माण एवं मध्यम सिंचाई योजना/तालाब/आहर/बाँध का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है। इन योजनाओं के समुचित उपयोग हेतु इन योजनाओं के लाभुकों के साथ विभागीय पदाधिकारियों के पारस्परिक समन्वयन की आवश्यकता है।
3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बतौर संसाधन संगठन (Resources Organization) अनुभवी, प्रतिष्ठित एवं स्वच्छ छवि वाले सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों / स्वयं सेवी संस्थाओं से जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सेवाएँ प्राप्त करने के लिए उनके सूचीकरण (Empanelment) की आवश्यकता है ताकि ऐसे संस्थानों से समय-समय पर सहयोग प्राप्त करते हुए "जल उपयोगकर्ता संघों" को क्रियाशील एवं कारगर बनाया जा सके तथा समय-समय पर विभाग की आवश्यकता के अनुरूप अन्य सेवाएँ भी प्राप्त की जा सकें।
4. सूचीबद्ध संस्थानों / संस्थाओं से आवश्यकतानुसार समय-समय पर निम्नांकित सेवाएँ प्राप्त की जा सकेंगी :-
 - 4.1 जल उपयोगकर्ता संघों को सम्यक् रूप से क्रियाशील करना एवं सांगठनिक रूप से सुदृढ़ करना;
 - 4.2 योजना के विभिन्न अवयवों / संरचनाओं के रख-रखाव हेतु जल उपयोगकर्ता संघ के सदस्यों को प्रशिक्षित करना;

- 4.3 योजना से सम्बद्ध माईक्रोलिफ्ट को संचालित करने एवं उराके रख-रखाव के संबंध में प्रशिक्षित करना; तथा,
- 4.4 समय-समय पर विभाग की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रक्षेत्रों में आवश्यक सेवाएँ प्राप्त करना।
5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सूचीकरण हेतु इच्छुक सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों / स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान राँची के नाम से रू0 1000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो राँची में भुगतये होगा तैयार कर उनके कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

जल संसाधन विभाग की Website- wrdjharkhand.nic.in से भी यह प्रपत्र Download किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में आवेदन के साथ 1000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. आवेदक संस्था की प्रथमतः निम्नवर्णित अर्हताएँ होनी अनिवार्य है:-
 - (i) संस्था का विधिवत् निबंधन एवं न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव,
 - (ii) विशेषज्ञों की उपलब्धता,
 - (iii) आधारभूत संरचना की उपलब्धता,
 - (iv) झारखंड में कार्यालय की उपलब्धता,
 - (v) विगत तीन वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन की उपलब्धता,
 - (vi) विगत तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम औसत वार्षिक 05 लाख रू0 की योजनाओं का कार्यान्वयन,
 - (vii) संस्था अथवा उसके किसी पदधारक को किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
 - (viii) उपर्युक्त क्रम में संलग्न परिशिष्ट-I में वर्णित शर्तों एवं निदेशों के आलोक में परिशिष्ट-II से परिशिष्ट-VI में वर्णित प्रपत्रों के अनुसार आवेदन पत्रों को विधिवत् समर्पित करना अनिवार्य है।
7. आवेदक संस्था के द्वारा आवेदन की शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न सूचनाएँ / कागजात एक मुहरबंद लिफाफे में जमा किये जायेंगे, जिसपर "झारखंड में समेकित सिंचाई व्यवस्था स्थापित एवं सुनिश्चित करने में सहयोग देने हेतु सूचीकरण के लिए आवेदन" अंकित किया जायेगा।
8. आवेदक संस्था के द्वारा बतौर प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन के साथ मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची के नाम से 2000/- रू0 का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया जाएगा, जिसे लौटाया नहीं जाएगा।

9. इच्छुक सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों / स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा दिनांक 19.09.2019 को 5.00 बजे तक अपने आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में अभियंता प्रमुख-II के कार्यालय में जमा किये जायेंगे।
10. प्राप्त आवेदन पत्रों को दिनांक 20.09.2019 को 11.00 बजे इस प्रयोजन हेतु गठित तकनीकी समिति के द्वारा खोलते हुए तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन के समय आवेदक संस्थाओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
11. जल संसाधन विभाग को उपरोक्त शर्तों में आवश्यकतानुसार समय-समय पर जनहित में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
12. कालक्रम में भी इच्छुक संस्थानों / संस्थाओं के द्वारा आवेदन विधिवत् जमा किए जा सकते हैं, जिनका इस प्रयोजन हेतु गठित उपर्युक्त तकनीकी समिति के द्वारा नियमित अंतराल पर तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा।
13. किसी भी आवेदन को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधोहस्ताक्षरी का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

NOTE - सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों/स्वयंसेवी संस्थाओं के सूचीकरण (Empanelment) से संबंधित आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.wrdjharkhand.nic.in पर उपलब्ध है।

हो/-
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)
पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य/324/2019-813 राँची, दिनांक-06/09/19
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची को सूचनार्थ समर्पित।
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

परिशिष्ट-I

आवेदन की मुख्य शर्तें :-

1.1 इच्छुक सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों / स्वयंसेवी संस्था के द्वारा अपना निबंधन प्रमाण पत्र, विगत तीन वर्षों का आय-व्ययक लेखा जोखा, पैन (PAN) संख्या, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रासंगिक कागजात विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-II) में समर्पित करने होंगे।

1.2 संस्था को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि संस्था अथवा उसके किसी भी पदधारक को किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है तथा संस्था के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है अथवा अपराधिक मुकदमे में कोई दंडादेश पारित नहीं किया गया है (परिशिष्ट-VI)।

1.3 संस्था को कम से कम तीन वर्षों का ग्रामीण क्षेत्रों/सामाजिक कार्य एवं संबंधित प्रक्षेत्रों में कार्य करने का कार्यानुभव होना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक विवरणी (परिशिष्ट-III) में समर्पित की जाए।

1.4 आवेदन के साथ उक्त संस्था में कार्यरत विशेषज्ञ पदाधिकारियों की योग्यता, अनुभव, इत्यादि की विवरणी विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-IV) में संलग्न रहनी अपेक्षित है।

इस क्रम में संस्था के पास ग्रामीण क्षेत्र/सामाजिक कार्य एवं संबंधित प्रक्षेत्र के संबंधित विषय के विशेषज्ञ होने चाहिए, जिनकी न्यूनतम योग्यता डिग्री या डिप्लोमा अथवा उसके समतुल्य उपाधि होनी चाहिए।

1.5 संस्था के पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, जैसे-भवन, वाहन, प्रशिक्षण सुविधाएँ आदि का स्पष्ट व्यौरा विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-V) में उल्लेखित होना चाहिए।

1.6 विगत तीन वर्षों के दौरान संस्था के द्वारा औसतन वार्षिक ₹0 05.00 लाख की योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधी प्रतिवेदन होना चाहिए।

1.7 संस्था का गत तीन वर्षों अर्थात् 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न होना चाहिए।

1.8 संस्था का झारखंड में अपना कार्यालय होना चाहिए, जो विगत कम से कम एक वर्ष से कार्यरत हो।

1.9 संस्था के द्वारा समर्पित कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या अंकित किया जाना अनिवार्य है तथा अनुसूची (Index) संलग्न की जाए, जिसमें समस्त वांछित कागजातों की विवरणी की पृष्ठ संख्या दर्ज करते हुए वर्णित की जाए।

2.1 सूचीकरण (Empanelment) हेतु निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर संस्थाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा। तकनीकी मूल्यांकन मुल 100 अंको का होगा तथा सूचीकृत होने हेतु किसी संस्था को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे :-

क्रम	न्यूनतम मापदण्ड		मूल्यांकन का मापदण्ड	अधिकतम अंक
1.	संस्था का सामान्य अनुभव (न्यूनतम तीन वर्ष)		1 अंक प्रतिवर्ष	10 अंक
2.	ग्रामीण क्षेत्रों/सामाजिक कार्य एवं संबंधित प्रक्षेत्रों में कार्य करने का कार्यानुभव (न्यूनतम तीन वर्ष)		2 अंक प्रतिवर्ष	10 अंक
3.	संस्था का विगत तीन वर्षों (2015-16, 2016-17 एवं 2017-18) का औसत वार्षिक turnover		1 अंक प्रति 5.00 लाख रुपये	25 अंक
4.	आधारभूत भौतिक सुविधा उपलब्धता :-			
i	कार्यालय भवन	निजी	2	2 अंक
		किराये	1	
ii	वाहन	निजी	1.5	3 अंक
		किराये	1	
5.	संस्था के परियोजना कार्यकारी दल के मुख्य पदधारकों की शैक्षणिक योग्यता तथा कार्यकुशलता :-			
i	शैक्षणिक योग्यता	डिग्री एवं उसके समतुल्य उपाधि (2 अंक) डिप्लोमा (1 अंक)		20 अंक
ii	कार्यानुभव	1 अंक प्रति अतिरिक्त वर्ष (2 वर्ष के पश्चात्)		30 अंक
	कुल			100 अंक

नोट : यह अपेक्षित है कि प्रत्येक संस्था अपने आवेदन के साथ साक्ष्य स्वरूप वांछित समस्त कागजात अनिवार्य रूप से संलग्न करे ताकि अंक प्रदान करते समय कोई संशय न उत्पन्न हो।

2.2 संस्था के परियोजना कार्यकारी दल में निम्नांकित मुख्य पदधारक होना आवश्यक है:-

क्र०	पदनाम	संख्या
1	समूह प्रमुख (Team Leader)	1
2	कार्यक्रम समन्वयक	1
3	ग्रामीण क्षेत्रों/सामाजिक कार्य एवं संबंधित प्रक्षेत्रों में कार्य करने के तकनीकी विशेषज्ञ	2
4	वित्त विशेषज्ञ / लेखापाल	1
5	सामुदायिक संगठक (Community Organiser)	3
6	महिला समन्वयक (Women Coordinator)	2

नोट:- यह अपेक्षित है कि प्रत्येक संस्था अपने आवेदन के साथ साक्ष्य स्वरूप वांछित समस्त कागजात अनिवार्य रूप से संलग्न करे ताकि अंक प्रदान करते समय कोई संशय न उत्पन्न हो।

परिशिष्ट-II

गैर सरकारी संस्था/स्वयं सेवी संस्था के सूचीकरण (Empanelment) हेतु आवेदन पत्र का विहित-प्रपत्र

1	संस्था का नाम		
2	संस्था का स्थानीय कार्यालय एवं डाक पता		
	टेलीफोन नं०/फैक्स नं०/ई० मेल सहित		
3	संस्था के मुख्यालय एवं डाक पता		
	टेलीफोन नं०/फैक्स नं०/ई० मेल सहित		
4	संस्था के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी का नाम एवं डाक पता		
	टेलीफोन नं०/फैक्स नं०/ई० मेल सहित		
5	संस्था के बोर्ड के सदस्यों का नाम एवं डाक पता (अलग से पृष्ठ संलग्न करें)		
	टेलीफोन नं०/फैक्स नं०/ई० मेल सहित		
6	निबंधन अधिनियम, निबंधन संख्या एवं निबंधन की तिथि (दस्तावेज की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)		
7	पैन नं० (अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)		
8	संस्था की वेबसाइट (अगर हो) यू०आर०एल०		
9	संस्था का कुल कार्यानुभव (वर्षों में) (दस्तावेज की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)		
10	ग्रामीण क्षेत्रों/सामाजिक कार्य एवं संबंधित प्रक्षेत्रों में कार्य करने का कार्यानुभव (वर्षों में) (दस्तावेज की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)		
i	उपलब्ध भौतिक आधारभूत संरचनाओं संबंधी विवरणी (संलग्न करें)		
ii	भवन निजी (स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)		
iii	भवन किराये पर (किराये संबंधी दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)		
iv	वाहन निजी (स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)		

परिशिष्ट-III

संस्था का जल संसाधन/सामाजिक कार्य एवं संबंध प्रक्षेत्र में कार्य अनुभव

संस्था नाम :-

क्र०	वर्ष	जिला (नाम)	प्रखंड (नाम)	पंचायत/ वार्ड (नाम)	कराए गए कार्यों की विवरणी				अभि०
					प्रक्षेत्र (Sector)	लागत (रु० में)	कार्य विवरणी (संक्षिप्त)	लाभान्वित व्यक्ति (संख्या)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

परिशिष्ट-IV

संस्था के परियोजना कार्यकारी दल के विशेषज्ञ की योग्यता एवं कार्य अनुभव

क्र०	कार्यकारी दल (सदस्य)			शैक्षणिक योग्यता	विशेषज्ञता प्रक्षेत्र	कार्यानुभव	विशिष्ट अनुभव/उपाधि आदि	अभि०
	नाम	पदनाम	डाक पता, मोबाईल संख्या, ई-मेल पता					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

परिशिष्ट-V

क्र०	आधारभूत संरचना (नाम)	संरचना प्रकृति (चल/अचल)	पता (अचल)/निबंधन संख्या (चल)	मूल्य विवरणी		अभि०
				क्रय वर्ष	क्रय लागत (रु० में)	
1	2	3	4	5	6	7

परिशिष्ट-VI

मैं श्री/सुश्री/श्रीमती

पिता/पति श्री पता

..... पो0 थाना जिला

स्वेच्छा पूर्वक यह घोषणा करता / करती हूँ कि मुझे संस्था की ओर से यह शपथ पत्र दायर करने हेतु विधिवत् अधिकृत किया गया है।

मैं शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि यह संस्था या इसके किसी भी पदधारक को किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्था के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है तथा इस संस्था के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है अथवा अपराधिक मुकदमा में कोई दण्डादेश पारित नहीं किया गया है।

उपरोक्त सभी विवरणी मेरे सूचना एवं संज्ञान में सत्य है।

यदि कोई असत्य / मिथ्या विवरणी पायी जाती है तो इसके लिए मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर